

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्रीमती अणछाई
किस्म मुकदमा - 53 रा.का.अ.

विपक्षी :- श्री गिरधारीलाल
पत्रावली संख्या : 12/20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर वाट क्या सुनाना जाती की नई
	<p>दिनांक : 30.12.2021</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 कैम्प मोरठ में पेश हुई। अधिवक्ता वादीया मय वादीया उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता वादीया द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादीया की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादीया द्वारा पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादीया स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p>परिणामस्वरूप वादीया का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :-</p>	

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	अणछाई पत्नी गोपीलाल भील सा फतहनगर खातेदार	6583/2841/1	0.1052	बंजड	0.35
	योग	किता 1	0.1052	-	0.35
2	गिरधारी पिता उंकार लाल भील सा पाडसोली त आसींद खातेदार	6583/2841	0.2428	बंजड	0.81
	योग	किता 1	0.2428	-	0.81

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली



अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला—उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री मयंक मनीष, I.A.S

मुकदमा नम्बर : 12/20 (वाद)

उनवान

- श्रीमती अणछाई पत्नी गोपीलाल भील निवासी वार्ड न 11 वासनीमाफी फतहनगर तह. मावली।
.....वादीयां

बनाम

- श्री गिरधारीलाल पिता उंकारलाल भील निवासी पडासोली तह. आसीन्द जिला भीलवाडा।
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
- पटवारी, पटवार हल्का सनवाड तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीयां की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.12.2021 को मयंक मनीष, I.A.S. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.स.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	अणछाई पत्नी गोपीलाल भील सा फतहनगर खातेदार	6583/2841/1	0.1052	बंजड	0.35
	योग	किता 1	0.1052	—	0.35
2	गिरधारी पिता उंकार लाल भील सा पाडसोली त आसींद खातेदार	6583/2841	0.2428	बंजड	0.81
	योग	किता 1	0.2428	—	0.81

नोट—उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 30.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली